

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97]

रायपुर, मंगलवार 11 मई 2004 - वैशाख 21, शक 1926

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2004

अधिसूचना

क्रमांक 432/आर-352/2003.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 3190 एस.ई. 2002 दिनांक 23-8-2002, द्वारा गठित, 3-10-01 से प्रभावशील छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 82 के अधीन गठित किया गया मान्य किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2004

क्रमांक 433/आर-352/2003.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 432/आर-352/2003 दिनांक 11 मई, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष सचिव.

Raipur the 11th May 2004

NOTIFICATION

No.432/R-352/2003.- The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission "established" vide this department's Notification No.3190-S-E- 2002 dated 23-08-2002 with effect from 03-10-2001, shall be deemed to have been established under Section 82 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003).

By Order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Special Secretary.